नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 238.—केन्द्रीय सरकार, कारपोरेट अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, कंपनी कार्य मंत्रालय, समूह 'ख' पद राजपत्रित वरिष्ठ सहायक निदेशक भर्ती नियम, 2006 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में ज्येष्ठ सहायक निदेशक (अन्वेषण) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, ज्येष्ठ सहायक निदेशक (अन्वेषण) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.**- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**- वह व्यक्ति, -

(ग) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(घ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ सहायक निदेशक (अन्वेषण)	05* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रूपए + 5400 रूपए ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति क्या हैं, क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी : (ख) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रूपए और ग्रेड वेतन 4800 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रूपए और ग्रेड वेतन 4600 रुपए के या इसके समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो; या (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं: **आवश्यक:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; और (ii) विनियामक विधियों के प्रवर्तन में या आर्थिक अपराधों के अन्वेषण और उनकी आसूचना के संग्रहण का तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** (i) चार्टेड अकाउंटेंट या लागत और प्रबंधन लेखपाल या चार्टेड कंपनी सेकरेट्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में बैचलर डिग्री या कारबार प्रबंधन की मास्टर डिग्री या परास्नातक डिप्लोमा; (ii) अभियोजन कार्यवाही में उपयोग किए जाने वाले साक्ष्य के संग्रहण के साधनों और कार्य पद्धतियों या कथन के अभिलेखन या सर्वोत्तम साक्ष्य के संग्रहण, समाकलन और प्रस्तुति से सुपरिचित होना। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व

	पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) किसी अधिकारी को नियुक्ति के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-35011/28/2009-प्रशा.III]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 8th December, 2015

G.S.R. 238.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of the Serious Fraud Investigation Office, Department of Company Affairs Group "B" Post Gazetted Senior Assistant Director Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Assistant Director (Investigation) in the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, namely: -

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, **Senior Assistant Director (Investigation),** Group 'B' Post Recruitment Rules, 2015.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said post, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.** - No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Assistant Director [Investigation]	05* (2015) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group-'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay Rs.5400	Not Applicable

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
By Deputation including short-term contract.	Deputation (Including Short-Term Contract) : Officers from the Central Government or State Governments or union territories administrations or Central or State public sector undertakings or Statutory or Autonomous organisations; (A) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (I) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay Rs.4800 or equivalent in the parent cadre or department; or (II) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential :** (I) Bachelor's Degree from a recognised University; and (II) Three years' experience in enforcement of regulatory laws or investigation of economic offences and collection of intelligence thereto. **Desirable :** (I) Chartered Accountant or Cost and Management Accountant or Company Secretary or Bachelor's Degree in Law or Master of Business Administration or Post Graduate diploma from a recognised University or Institutions. (II) Should be conversant with tools and techniques of collection of evidence or recording of statement or collection, collation and presentation of best evidence to be used in prosecution proceedings.

	Note 1: The period of deputation including period of deputation [including short term contract] in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall be for a period of three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation [including short term contract] shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application. **Note 3:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended, based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (Including Short-Term Contract).

[F. No. A-35011/28/2009-Adm.III]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.